(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

**अधिसूचना सं. 42/2015–2020**
**नई दिल्ली, दिनांकः 10 जनवरी, 2020**

**विषयः– विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 6.01 (ट) में सं' ोधन।**

सा. आ. (अ): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अध्याय 6 के पैरा 6.01 (ट) में निम्नलिखित संशोधन करती है:

| मौजूदा नीतिगत प्रावधान | सं' ोधित नीतिगत प्रावधान |
|---|---|
| अनुमोदन बोर्ड, मामला दर मामला आधार पर, रत्न एवं आभषूण के अलावा अन्य क्षेत्रों में ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों के आवेदन पर विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित वस्तुओं को समेकित करने के लिए और विनिर्मित वस्तुओं के साथ उनके निर्यात के लिए अनुमति दे सकता है। ऐसी वस्तुओं को पिछले वित्तीय वर्षों में यूनिट द्वारा निर्यात की गई ऐसी विनिर्मित वस्तुओं के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के पांच प्रतिशत की सीमा तक ईओयू द्वारा डीटीए से आयात करने/प्राप्त करने की अनुमति उपर्युक्त पैरा 6.01 (घ) (ii) और (iii) में यथा प्रदत्त शुल्कों और/या करों के भुगतान के साथ या बगैर, जैसा भी मामला हो, पर दी जा सकती है। ईओयू द्वारा विनिर्मित इस प्रकार खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं का विवरण निर्यात दस्तावेज में अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा। ऐसे मामलों में खरीद की गई/आयातित वस्तुओं का मूल्य एनएफई और डीटीए की बिक्री हकदारी की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसी खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं को डीटीए में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अनुमोदन बोर्ड किन्ही अन्य शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकता है। | **विकास आयुक्त/नामित अधिकारी,** मामला दर मामला आधार पर, रत्न एवं आभषूण के अलावा अन्य क्षेत्रों में ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों के आवेदन पर विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित वस्तुओं को समेकित करने के लिए और विनिर्मित वस्तुओं के साथ उनके निर्यात के लिए अनुमति दे सकता है। ऐसी वस्तुओं को पिछले वित्तीय वर्षों में यूनिट द्वारा निर्यात की गई ऐसी विनिर्मित वस्तुओं के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के पांच प्रतिशत की सीमा तक ईओयू द्वारा डीटीए से आयात करने/प्राप्त करने की अनुमति उपर्युक्त पैरा 6.01 (घ) (ii) और (iii) में यथा प्रदत्त शुल्कों और/या करों के भुगतान के साथ या बगैर, जैसा भी मामला हो, पर दी जा सकती है। ईओयू द्वारा विनिर्मित इस प्रकार खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं का विवरण निर्यात दस्तावेज में अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा। ऐसे मामलों में खरीद की गई/आयातित वस्तुओं का मूल्य एनएफई और डीटीए की बिक्री हकदारी की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसी खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं को डीटीए में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। **विकास आयुक्त/नामित अधिकारी** किन्ही अन्य शर्तों को विनिर्दि ... ा है। |

**इस अधिसूचना का प्रभावः** विनिर्मि ... ने के लिए प्रस्तावों को मंजूरी देने का प्राधिकार संबंधित विकास 3 ... गया है।

(अमित यादव)
...ानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
... अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/92/180/43/एएम–20/पीसी–VI से जारी)